

उत्तर रेलवे

कार्यालय मुख्य कारखाना प्रबन्धक,
जगाधरी वर्कशाप।


पत्र सं० 974-E/Welfare/Misc/Covid-19

दिनांक 19-03-2020

खुद रहे सुरक्षित, दूसरों को रखें सुरक्षित,
क्या करें और क्या ना करें आदि

विषय:- CORONA VIRUS (COVID-19) से बचने के उपाय के संबंध में।

1.	सभी कर्मचारियों को सूचित किया जाता है कि अपना I-Card साथ लेकर आये व मांगने पर दिखाये।
2.	सभी एसएसई/ इंचार्ज को सूचित किया जाता है कि जो भी कर्मचारी व उनके परिवार के सदस्य पिछले 01.02.2020 से अब तक विदेश दौरे से आये है उनकी सूचना SSE कार्यालय में अवश्य दे तथा उन कर्मचारी को SSE द्वारा रेलवे अस्पताल में मेडीकल जाँच हेतु भेजे तथा Fit होने पर ही ड्यूटी पर लिया जाये।
3.	सभी एसएसई/ इंचार्ज से अनुरोध है कि किसी भी कर्मचारी को सर्दी खांसी जुकाम या बुखार, सिरदर्द मॉसपेशियों में दर्द, सांस लेने में परेशानी हो तो उसे तुरन्त अवकाश पर भेजे और रेलवे अस्तपताल में मेडीकल जाँच करवा कर रिपोर्ट देने को कहें।
4.	सभी एसएसई/ इंचार्ज से अनुरोध है कि अपने अपने स्टाफ को हाथ धोने के लिए साबुन एवं पानी उपलब्ध/व्यवस्था करवायें तथा उन्हें बार बार ऐसा करने के लिए जागरूक करें।
5.	खांसते छींकते समय अपना मुँह/ कोहनी से ढक कर रखे व मास्क का उपयोग करें।
6.	साफ-सफाई का विशेष ध्यान रखें तथा बहुत जरूरी होने पर ही इधर उधर कार्यालय में जाये।
7.	जो लोग अस्वास्थ्य है या उनमें बिमारी के लक्षण नजर आ रहे हैं जैसे खांसी, जुकाम, बुखार आदि उनसे उचित दूरी बनाए रखें।
8.	सभी अस्थाई सफाई कर्मचारी मास्क व ग्लव्स का उपयोग करेंगे। कोई भी Contractors staff इसके बिना कार्य नहीं करवायेगा।
9.	कोई भी बाहरी रेलवे कर्मचारी का अग्रिम आदेश आने तक वर्कशाप में आना वर्जित है, अगर कर्मचारी यदि ड्यूटी पर आता है तो उसे उसी दिन वापिस भेजा जायें।
10.	सभी एसएसई/ इंचार्ज से अनुरोध है कि मीटिंग रूम में आने से पहले अपने हाथ अच्छी तरह साबुन से धोकर ही अन्दर आए।
11.	RPF staff यह सुनिश्चित करे कि बिना उनकी जानकारी के कोई भी बाहरी व्यक्ति वर्कशाप के अन्दर प्रवेश ना करें।
12.	सभी कर्मचारियों को सूचित किया जाता है कि गर्म पानी का उपयोग करें तथा ठण्डे पदार्थों के उपयोग से बचें व एक दूसरे से हाथ मत मिलाये।
13.	सभी Training Courses अगले आदेश तक बन्द किया जाता है।
14.	वर्कशाप में सभी सप्लायरस को 31-03-2020 तक आने की अनुमति नहीं है। यदि जरूरी हुआ तो मुख्य कारखाना प्रबंधक के आदेश पर ही अनुमति मिलेगी।


19/3/20
(राजीव बाजाज)
उप मुख्य कार्मिक अधिकारी/JUDW

प्रतिलिपि:-

1. सभी एसएसई/इंचार्ज जगाड वर्क।
2. सभी मुख्य कार्यालय अधीक्षक जगाड वर्क।
3. सभी सप्लायरस/एक्जिक्यूटिव्स जगाड वर्क।
4. Com.Commander/RPF/JUDW